उपायुक्त का कार्यालय, कोडरमा।

(राजस्व शाखा)

पत्रांक ..../रा०   दिनांक ....../....../ 2020

सेवा में,

महालेखाकार, झारखण्ड,
पोस्ट–हिनू, राँची।

विषय :- मंत्रीपरिषद की बैठक दिनांक 04–10–2016 के मद संख्या–02 में लिये गये निर्णय (विभागीय संकल्प संख्या 5504/रा० दिनांक 7–10–2016) के आलोक में प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी (Vertical-III) आवास निर्माण हेतु कोडरमा जिला के अंचल–कोडरमा अन्तर्गत मौजा तिलैया, थाना नं0 244 खाता संख्या–1343, प्लॉट संख्या 1174 रकबा–2.00 एकड़ गैरमजरूआ खास, किस्म–परती को नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार को अन्तर्विभागीय निःशुल्क हस्तांतरण के सम्बन्ध में।

आदेश : स्वीकृत।

1. इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तांतरित की जा रही है, उक्त प्रयोजन हेतु उसकी आवश्यकता नहीं रहने पर अथवा उस प्रयोजन हेतु उसका उपयोग नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी।
2. संबंधित विभाग के द्वारा छः माह के अन्दर कार्य प्रारम्भ कर दिया जाय।
3. अन्य सभी शर्तें "इस्टेट मैनुअल" में निहित प्रावधानों एवं समय–समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी।

ह0/–
उपायुक्त,
कोडरमा

ज्ञापांक 1004/रा0, दिनांक 16/6/2020

प्रतिलिपि सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड, राँची/ सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, (नगरीय प्रशासन निदेशालय), झारखण्ड को कृपया सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि कार्यपालक पदाधिकारी, नगर ~~परिषद कुमरी तिलैया~~/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

✓ प्रतिलिपि अंचल अधिकारी, कोडरमा को मूल अभिलेख संख्या–05/2019–20 के साथ सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/6/20

उपायुक्त,
कोडरमा